


वेब परिचालन हेतु



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन  
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION  
धर्म एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार  
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA  
मुख्य कार्यालय/Head Office  
भविष्य निधि भवन, 14, भिकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066  
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066  
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in



संख्या : हि.अ. 8(2)2015-16/वा.का./48

दिनांक: '13 APR 2026

सेवा में,

सभी अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्या)/ निदेशक पीडीनास  
अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (प्रशा.से.प्र.), मुख्यालय,  
अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (अंचल),  
मुख्यालय सहित सभी क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (क्षेत्रीय कार्यालय/आ.प्र.सं.)

**विषय:** संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम 2026-27 के अनुपालन के संबंध में।

महोदया/महोदय,

उपर्युक्त विषय पर राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा वर्ष 2026-27 हेतु जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों से संबंधित सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। उपर्युक्त वार्षिक कार्यक्रम की संपूर्ण प्रति को राजभाषा विभाग की वेबसाइट [www.rajbhasha.nic.in](http://www.rajbhasha.nic.in) से डाउनलोड किया जा सकता है। अनुरोध है कि वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित किए गए लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने हेतु सभी संभव प्रयास किए जाएं।

(अपर केन्द्रीय भ.नि. आयुक्त (मुख्या.) / प्रभारी राजभाषा के अनुमोदन से जारी।)

भवदीया,

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

(वीणा रानी यादव)  
निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि:-

1. मुख्यालय के सभी अधिकारीगण।
2. सभी आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
3. उप निदेशक (सतर्कता) सभी अंचल।

4. सभी आंचलिक लेखा परीक्षा दल।
5. उप निदेशक (राजभाषा) चेन्नै।
6. सभी सहायक निदेशक (राजभाषा), क.भ.नि.सं.।
7. उप निदेशक (राजभाषा), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार को सूचनार्थ।
8. क्षे.भ.नि.आ.(एन.डी.सी.) को वेब पर अपलोड करने के अनुरोध सहित प्रेषित।



सत्यमेव जयते

**भारत सरकार**  
**GOVERNMENT OF INDIA**

**संघ का राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए**  
**वार्षिक कार्यक्रम**  
**2026-27**

**ANNUAL PROGRAMME**  
**FOR TRANSACTING THE OFFICIAL WORK OF**  
**THE UNION IN HINDI**  
**2026-27**

**गृह मंत्रालय**  
**MINISTRY OF HOME AFFAIRS**

**राजभाषा विभाग**  
**DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE**

[www.rajbhasha.gov.in](http://www.rajbhasha.gov.in)

## हिंदी के प्रयोग के लिए वर्ष 2026-27 का वार्षिक कार्यक्रम

क्र.सं.	कार्य विवरण	"क" क्षेत्र	"ख" क्षेत्र	"ग" क्षेत्र
1.	हिंदी में मूल पत्राचार (ई-मेल सहित)	1. क क्षेत्र से क क्षेत्र को 100% 2. क क्षेत्र से ख क्षेत्र को 100% 3. क क्षेत्र से ग क्षेत्र को 70% 4. क क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/ व्यक्ति 100%	1 ख क्षेत्र से क क्षेत्र को 90% 2 ख क्षेत्र से ख क्षेत्र को 90% 3 ख क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4. ख क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 90%	1 ग क्षेत्र से क क्षेत्र को 60% 2 ग क्षेत्र से ख क्षेत्र को 60% 3 ग क्षेत्र से ग क्षेत्र को 60% 4.ग क्षेत्र से क व ख क्षेत्र के राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के कार्यालय/व्यक्ति 60%
2.	हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना	100%	100%	100%
3.	हिंदी में टिप्पण	80%	55%	35%
4.	हिंदी माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम	75%	65%	35%
5.	हिंदी टंकण करने वाले कर्मचारी एवं आशुलिपिक की भर्ती	80%	70%	45%
6.	हिंदी में डिक्टेसन/की बोर्ड पर सीधे टंकण (स्वयं तथा सहायक द्वारा)	70%	60%	35%
7.	हिंदी प्रशिक्षण (भाषा, टंकण, आशुलिपि)	100%	100%	100%
8.	द्विभाषी प्रशिक्षण सामग्री तैयार करना	100%	100%	100%

9.	जर्नल और मानक संदर्भ पुस्तकों को छोड़कर पुस्तकालय के कुल अनुदान में से डिजिटल सामग्री अर्थात् हिंदी ई-पुस्तक, ई-हिंदी समाचार पत्र, सीडी/डीवीडी, पैनड्राइव तथा अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं से हिंदी में अनुवाद पर व्यय की गई राशि सहित हिंदी पुस्तकों की खरीद पर किया गया व्यय।	50%	50%	50%
10.	हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में काम करने की सुविधायुक्त इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जिनमें कंप्यूटर भी शामिल है, की खरीद।	100%	100%	100%
11.	वेबसाइट द्विभाषी हो	100%	100%	100%
12.	नागरिक चार्टर तथा जन सूचना बोर्ड आदि द्विभाषी रूप में प्रदर्शित किए जाएं।	100%	100%	100%
13 (i)	मंत्रालयों/विभागों और कार्यालयों के अधिकारियों (उ.स./निदे./सं.स.) तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने मुख्यालय से बाहर स्थित कार्यालयों का निरीक्षण (कार्यालयों का प्रतिशत)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(ii)	मुख्यालय में स्थित अनुभागों का निरीक्षण	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)	30% (न्यूनतम)
(iii)	विदेश में स्थित केंद्र सरकार के स्वामित्व एवं नियंत्रण के अधीन कार्यालयों/उपक्रमों का संबंधित अधिकारियों तथा राजभाषा विभाग के अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण		वर्ष में कम से कम एक निरीक्षण	
14.	राजभाषा संबंधी बैठकें			
(क)	हिंदी सलाहकार समिति		वर्ष में 2 बैठकें	
(ख)	नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 2 बैठकें (प्रति छमाही एक बैठक),	
(ग)	राजभाषा कार्यान्वयन समिति		वर्ष में 4 बैठकें (प्रति तिमाही एक	

15. कोड, मैनुअल, फॉर्म, प्रक्रिया साहित्य का हिंदी अनुवाद	100%	100%	100%
16. मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों/बैंकों/ उपक्रमों के ऐसे अनुभाग जहां संपूर्ण कार्य हिंदी में हों ।	45%	35%	25%

(न्यूनतम अनुभाग)

सार्वजनिक क्षेत्र के उन उपक्रमों/निगमों आदि, जहां अनुभाग  
जैसी कोई अवधारणा नहीं है, "क" क्षेत्र में कुल कार्य का 45%,  
"ख" क्षेत्र में 30% और "ग" क्षेत्र में 20% कार्य हिंदी में किया  
जाए ।